अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 681(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 76 के साथ पठित उसकी धारा 42 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विनियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) " अधिनियम" से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) "सभापति" से शासी निकाय का सभापति अभिप्रेत है ;

(ग) "कार्यपालक निदेशक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त संस्थान का कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है ;

(घ) "शासी निकाय" से संस्थान का शासी निकाय अभिप्रेत है ;

(ङ) "संस्थान" से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अभिप्रेत है ;

(च) "अध्यक्ष" से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(छ) "सचिव" से, यथास्थिति, संस्थान या शासी निकाय का सचिव अभिप्रेत है ;

3. संस्थान और शासी निकाय की संरचना - संस्थान और शासी निकाय में ऐसे सदस्य होंगे जो आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) नियम, 2006 के क्रमशः नियम 3 के उपनियम (1) और नियम 6 के उपनियम (1) में उपबंधित हैं ।

4. संस्थान के अधिवेशन - (1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संस्थान के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) संस्थान ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगा जो संस्थान के कारबार के संव्यवहार के लिए अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझे जाएं :

परंतु संस्थान प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगा ।

(3)(क) सचिव संस्थान के सामान्य अधिवेशन के स्थान, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना ऐसे अधिवेशन की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पूर्व देगा ।

(ख) अधिवेशन की सूचना के साथ उसकी कार्यसूची भी भेजी जाएगी और जहां संभव न हो, कार्य सूची अधिवेशन से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी ।

(4) अध्यक्ष संस्थान के अत्यावश्यक कारबार के संव्यवहार के लिए किसी समय संस्थान का असाधारण अधिवेशन बुला सकेगा ।

(5) सचिव असाधारण अधिवेशन के लिए अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पहले कार्यसूची के साथ अधिवेशन के स्थान, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सभी सदस्यों को सूचना देगा ।

(6)(क) संस्थान, संस्थान के कम से कम बारह सदस्यों के लिखित अनुरोध के तीस दिन के भीतर असाधारण अधिवेशन बुलाएगा ।

(ख) संस्थान के सदस्य खंड (क) में निर्दिष्ट अधिवेशन के लिए अनुरोध के प्रयोजन को उपदर्शित करेंगे ।

(7) संस्थान के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति दस होगी ।

(8) अध्यक्ष संस्थान के अधिवेशन से पूर्व किसी समय या उसके दौरान कार्यसूची में -

(i) कारबार की कोई नई मद या मदें ; या

(ii) कार्यसूची में सम्मिलित मदों के अतिरिक्त कोई पूरक मद,

सम्मिलित कर सकेगा और ऐसी मद पर विचार किया जाएगा ।

(9) संस्थान के किसी सदस्य पर सूचना की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से, ई-मेल, फैक्स, टेलीग्राम द्वारा की जा सकेगी या ऐसे सदस्य को संबोधित लिफाफे में डाक में भेजने के प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा की जा सकेगी और ऐसी सूचना के बारे में यह माना जाएगा कि वह उचित रूप से परिदत्त कर दी गई है ।

(10) किसी अधिवेशन में संस्थान द्वारा निपटाया गया कोई विषय पुनः विचार के लिए ऐसे मामले के सिवाय एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व नहीं लाया जाएगा जहां अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार यह प्रमाणित कर देती है कि उक्त विषय पर संस्थान के हित में और विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

IndiaCode

(11) संस्थान के किसी सदस्य द्वारा उठाए गए व्यवस्था के किसी प्रश्न पर अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा दिया गया विनिश्चय अंतिम होगा ।

(12) संस्थान के अधिवेशन के समक्ष लाए गए सभी विषयों का विनिश्चय संस्थान के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और बराबर मतों की दशा में अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति का उस मत के अतिरिक्त निश्चायक मत होगा जिसका वह संस्थान के सदस्य के रूप में हकदार हो ।

5. कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार - (1) संस्थान के किसी कारबार का, जो संव्यवहार करने के लिए संस्थान के लिए आवश्यक हो, यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, संस्थान के सभी सदस्यों को उनके सामान्य पते पर अपेक्षित विनिश्चय को सम्मिलित करते हुए एक प्रारूप संकल्प के साथ कार्यसूची के कागजों के परिचालन द्वारा संव्यवहार किया जा सकेगा और इस प्रकार प्रचालित और सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षर करके अनुमोदित प्रारूप संकल्प ऐसे प्रभावी और आबद्धकारी होगा मानो वह संकल्प संस्थान के अधिवेशन में पारित किया गया हो परंतु संस्थान के कम से कम बारह सदस्यों ने संकल्प पर अपने विचार अभिलिखित किए हों ।

(2) कोई सदस्य ऐसे कारबार की सूचना के जारी किए जाने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उत्तर देगा और यदि संस्थान के सदस्य से उक्त अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने प्रारूप संकल्प का समर्थन किया है ।

(3) यदि प्रारूप संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम संस्थान के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा और संकल्प संस्थान के अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखा जाएगा ।

6. कारबार का अभिलेखन - (1) संस्थान द्वारा संव्यवहार किए गए सभी कारबार का अभिलेख रखा जाएगा ।

(2) संस्थान के सभी विनिश्चय, यथासंभव, संकल्पों के रूप में लेखबद्ध किए जाएंगे और संस्थान की कार्यवाही पुस्तक में ऐसे विनिश्चय की प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चायक सबूत होगी कि संस्थान द्वारा ऐसे विनिश्चय लिए गए थे ।

(3) संस्थान के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियां उसके सदस्यों में अधिवेशन के तीस दिन के भीतर परिचालित की जाएंगी और यदि अनुबंधित समय के भीतर कोई टिप्पणियां प्राप्त होती हैं तो वे अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन रहते हुए उपयुक्त रूप से सम्मिलित की जाएंगी और अंतिम कार्यवाहियों के रूप में पुनः जारी की जाएंगी ।

7. शासी निकाय या कार्यपालक निदेशक को कृत्यों का प्रत्यायोजन - संस्थान, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, शासी निकाय या कार्यपालक निदेशक को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने ऐसे कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह धारा 42 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णायक या आनुषंगिक समझे ।

8. पदावधि - (1) शासी निकाय के सदस्य की पदावधि उसके संस्थान के सदस्य बने रहने तक जारी रहेगी ।

(2) आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) नियम, 2006 के नियम 6 के उपनियम (1) के खंड (vii), (viii), (ix) या (x) के अधीन शासी निकाय के नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह संस्थान का सदस्य नहीं रहता, समाप्त हो जाएगी या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको प्रतिस्थापित किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, बनी रहेगी ।

9. शासी निकाय की शक्तियां और कृत्य - (1) शासी निकाय संस्थान के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी निकाय निम्नलिखित किसी या किन्ही कृत्यों का पालन कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा संस्थान के लिए अधिकथित विस्तृत नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना ;

(ख) ऐसे प्रस्तावों पर विचार करना और सिफारिश करना जो संस्थान को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं ;

(ग) ऐसे कार्यक्रमों और क्रियाकलापों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना जो संस्थान द्वारा उनका अनुमोदन किए जाने तक अंतरिम रूप मे लिए जाएं ।

(घ) संस्थान के अनुमोदित वार्षिक क्रियाकलापों में ऐसे परिवर्तनों पर, जो आवश्यक समझे जाएं, संस्थान द्वारा ऐसे परिवर्तनों का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन किए जाने के अधीन रहते हुए विचार करना और उनका अनुमोदन करना ;

(ङ) ऐसे नये क्रियाकलापों पर, जो संस्थान के अनुमोदित वार्षिक क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं हैं, जिनपर विचार किया जाना अपेक्षित है, संस्थान द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन किए जाने के अधीन रहते हुए विचार करना और उनका अनुमोदन करना ;

(च) ऐसी समितियां और उपसमितियां नियुक्त करना जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त समझी जाएं ;

(छ) ऐसे सभी कार्य करना और ऐसी सभी बातें करना जो संस्थान की संपत्तियों के उचित प्रबंध के लिए आवश्यक हों ; और

(ज) ऐसे सभी कृत्य करना जो संस्थान द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

10. शासी निकाय के अधिवेशन का समय और स्थान - शासी निकाय अपने अधिवेशन ऐसे स्थान और समयों पर करेगा जो शासी निकाय का सभापति समय-समय पर अवधारित करे :

परंतु शासी निकाय का सभापति अधिवेशन का आयोजन करेगा यदि उस प्रयोजन के लिए अध्यपेक्षा उसे शासी निकाय के कम से कम चार सदस्यों द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है जिसमें अधिवेशन में चर्चा की प्रस्तावित विषय-वस्तु विनिर्दिष्ट की जाएगी :

परंतु यह और कि शासी निकाय तीन मास में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगा ।

11. शासी निकाय के अधिवेशन के लिए सूचना - (1) शासी निकाय के प्रत्येक अधिवेशन के लिए कम से कम चौदह दिन की सूचना शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी ।

(2) सूचना शासी निकाय के किसी सदस्य पर या तो व्यक्तिगत रूप से, ई-मेल, फैक्स, टेलीग्राम द्वारा तामील की जा सकेगी या ऐसे सदस्य को संबोधित लिफाफे में डाक से भेजने के प्रमाण पत्र के अधीन डाक द्वारा तामील की जा सकेगी और ऐसी सूचना उचित रूप से तामील की गई मानी जाएगी ।

(3) उपविनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी शासी निकाय के कोई अधिवेशन जिसमें ऐसा कोई विषय विचार के लिए लिया गया है, जिसे सभपति द्वारा अत्यावश्यक समझा गया है, उससे कम समय की सूचना द्वारा आहूत किया जा सकेगा ।

12. गणपूर्ति - (1) शासी निकाय के अधिवेशन में किसी भी कारबार का तब तक संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि शासी निकाय के कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों ।

(2) यदि शासी निकाय के अधिवेशन के प्रारंभ होने के लिए नियत समय से आधा घंटे में गणपूर्ति उपस्थित नहीं हैं तो अधिवेशन किसी अन्य दिन के लिए स्थगित हो जाएगा और इस प्रकार स्थगित अधिवेशन की सूचना शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को ई-मेल, फैक्स, टेलीग्राम, डाक या विशेष संवाहक द्वारा, जैसा भी अपेक्षित हो, दी जाएगी :

परंतु इस प्रकार स्थगित किया गया अधिवेशन उस तारीख से इक्कीस दिन के भीतर किया जाएगा जिसका आरंभ में किए जाने का प्रस्ताव था ।

(3) यदि ऐसे किसी स्थगित अधिवेशन में भी अधिवेशन होने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित नहीं हैं तो अधिवेशन में उपस्थित शासी निकाय के सदस्य गणपूर्ति करेंगे ।

13. शासी निकाय के अधिवेशनों की अध्यक्षता - (1) शासी निकाय का सभापति शासी निकाय के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(2) यदि शासी निकाय का सभापति किसी विशिष्ट अधिवेशन में उपस्थित नही है तो उपसभापति शासी निकाय के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(3) यदि शासी निकाय के सभापति और उपसभापति किसी विशिष्ट अधिवेशन में उपस्थित नहीं हैं तो शासी निकाय के उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे ।

14. कागज-पत्रों के प्रचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार -(1) ऐसे किसी कारबार के लिए जिसका संव्यवहार किया जाना शासी निकाय के लिए आवश्यक हो, यदि सभापति, या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति ऐसा निदेश दे, शासी निकाय के सभी सदस्यों को उनके सामान्य पते पर कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा संव्यवहार किया जा सकेगा और इस प्रकार प्रचालित संकल्प ऐसे प्रभावी और आबद्धकारी होगा मानो वह संकल्प शासी निकाय के अधिवेशन में पारित किया गया हो परंतु शासी निकाय के कम से कम पांच सदस्यों ने संकल्प का अनुमोदन अभिलिखित किया हो ।

(2) यदि संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम शासी निकाय के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा और संकल्प शासी निकाय के अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखा जाएगा ।

15. मतदान - शासी निकाय के अधिवेशन के समक्ष लाए गए सभी विषयों का विनिश्चय शासी निकाय के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और बराबर मतों की दशा में शासी निकाय के सभापति या पीठासीन व्यक्ति का उस मत के अतिरिक्त निश्चायक मत होगा जिसका वह शासी निकाय के सदस्य के रूप में हकदार हो ।

16. कारबार का अभिलेखन - (1) शासी निकाय द्वारा संव्यवहार किए गए सभी कारबार का अभिलेख रखा जाएगा ।

(2) शासी निकाय के सभी विनिश्चय, यथासंभव, संकल्पों के रूप में लेखबद्ध किए जाएंगे और

शासी निकाय की कार्यवाही पुस्तक में ऐसे विनिश्चय की प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चायक सबूत होगी कि शासी निकाय द्वारा ऐसे विनिश्चय लिए गए थे ।

(3) शासी निकाय के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियां उसके सदस्यों में अधिवेशन के इक्कीस दिन के भीतर परिचालित की जाएंगी ।

17. संस्थान और शासी निकाय के सदस्यों को भत्ते - संस्थान और शासी निकाय के सदस्यों को यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, प्रवहण भत्तों और मकान किराए का संदाय किया जाएगा जो पूरक नियमों के अधीन अनुज्ञेय है ।

18. कार्यपालक निदेशक की शक्तियां और कृत्य - (1) कार्यपालक निदेशक संस्थान, उसके शासी निकाय के विनिश्चयों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की विस्तृत नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा तथा ऐसे अन्य कृत्य करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपें जांए ।

(2) कार्यपालक निदेशक संस्थान के प्रशासन का भारसाधक होगा और संस्थान को उपलब्ध कराए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्त्तव्य आबंटित करेगा तथा यथा आवश्यक पर्यवेक्षण और कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करेगा ।

(3) कार्यपालक निदेशक मूल नियमों, पूरक नियमों, वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन के नियमों में यथाविनिर्दिष्ट विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(4) कार्यपालक निदेशक -

(क) संस्थान के सहबद्ध प्रोफेसर से अनिम्न पंक्ति के और समतुल्य पद पर के अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत अनुशासन प्राधिकारी के कृत्यों का निवर्हन करेगा ;

(ख) प्रशिक्षण और कार्यशाला का स्थान विनिश्चित करेगा और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए जो संस्थान या उसके शासी निकाय द्वारा अधिकथित किए जाएं, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कुशल व्यक्तियों को आमंत्रित करेगा ;

(ग) ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए जो संस्थान या उसके शासी निकाय द्वारा अधिकथित किए जाएं, विनिर्दिष्ट कार्यों के अनुपालन के लिए परामर्शी रखेगा ;

(घ) संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अन्य क्रियाकलापों में अल्पकालीन परिवर्तन करेगा जो स्थिति की अत्यावश्यकता के मद्देनजर आवश्यक हों ;

(ङ) दस्तावेजों, रिपोर्टों आदि के प्रकाशन का अनुमोदन करेगा ;

(च) लेखबद्ध किए गए कारणों से गैरहकदार अधिकारियों को वायुयान से यात्रा अनुज्ञात करेगा ;

(छ) संस्थान से संबंधित किया विषय पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से पत्राचार करेगा ;

(ज) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो संस्थान या उसके शासी निकाय द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

[फा. सं. 30/8/2006-एनडीएम-III (ए)]

प्रभांशु कमल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2006

G.S.R. 681(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 42 read with section 76 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the National Institute of Disaster Management Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(b) " chairperson" means the chairperson of the governing body;

(c) "Executive Director" means the Executive Director of the institute appointed by the Central Government;

(d) "governing body" means the governing body of the institute;

(e) "institute" means the National Institute of Disaster Management;

(f) "President" means the President of the institute;

(g) "Secretary" means the Secretary of the institute, or as the case may be, the governing body.

3. Composition of the institute and the governing body.- The institute and the governing body shall consist of such members as are provided under sub-rule (1) of rule

(3) and sub-rule (1) of rule 6 respectively of the Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006.

4. Meetings of the institute.- (1) The President, or in his absence, the Vice-President, shall preside over the meetings of the institute.

(2) The institute shall meet at such times and places as may be considered necessary by the President for the transaction of the business of the institute:

Provided that the institute shall meet at least once in every year.

(3) (a) The Secretary shall give a notice specifying the place, date and time of an ordinary meeting of the institute at least twenty-one days prior to the date of such meeting.

(b) The agenda shall also be sent along with the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least seven days before the meeting.

(4) The President may call an extraordinary meeting of the institute at any time for the transaction of urgent business of the institute.

(5) The Secretary shall give a notice to all the members specifying the place, date and time of the meeting for an extraordinary meeting at least seven days before the date of the meeting alongwith the agenda.

(6) (a)The institute shall call an extraordinary meeting within thirty days of a written request of not less than twelve members of the institute.

(b) The members of the institute shall indicate the purpose of the request for the meeting referred to in clause (a).

(7) The quorum for a meeting of the Institute shall be ten.

IndiaCode

(8) The President may include in the agenda at any time before or during a meeting of the Institute -

(i) any fresh item or items of business; or

(ii) any item supplementary to those included in the agenda,

and such item shall be taken up for consideration.

(9) A notice may be served upon any member of the Institute either personally, by email, fax, telegram or by post by under certificate of posting in an envelope addressed to such member and such notice shall be presumed to have been properly delivered.

(10) No subject disposed of by the institute at a meeting shall be brought up again for consideration until after the expiry of one year except in a case where the President or the Central Government certifies that the subject requires further consideration in the interest of the institute.

(11) A decision given by the President of the meeting on a point of order raised by a member of the institute shall be final.

(12) All matters submitted to a meeting of the institute shall be decided by a majority of the members of the institute present and voting thereat, and in case of an equality of votes, the President or the person presiding shall have a casting vote, in addition to the vote to which he may be entitled as a member of the institute.

5. Transaction of business by circulation of papers.- (1) Any business of the institute which may be necessary for the institute to transact may, if the President so directs, be dealt with by circulation of agenda papers alongwith a draft resolution incorporating the decision required among all the members of the institute at their usual address and any draft resolution so circulated and approved by the majority of the members of the institute

signing shall be as effectual and binding as if the resolution had been passed at a meeting of the institute provided that at least twelve members of the institute have recorded their views on the resolution.

(2) A member shall give reply within twenty-one days from the date of issue of the notice of such business and if no reply is received from a member of the institute within the said period, he shall be deemed to have supported the draft resolution.

(3) If a draft resolution is circulated, the result of the circulation shall be communicated to all members of the institute and the resolution shall also be placed before the next meeting of the institute for confirmation.

IndiaCode

6. Recording of business.- (1) A record shall be maintained of all business transacted by the institute.

(2) All decisions of the institute shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions and an entry of such decision in the book of proceedings of the institute shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the institute.

(3) The proceedings of every meeting of the institute shall be circulated among its members within thirty days of the meeting and if any comments are received within a stipulated time they shall be incorporated suitably subject to the approval of the President and re-issued as final proceedings.

7. Delegation of functions to governing body or Executive Director.-The institute may, by general or special order in writing, delegate to the governing body or the Executive Director, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified

in the order, such of its functions which it considers conducive or incidental to the attainment of the objects specified under sub-section (9) of section 42.

8. Term of office.-(1) The term of office of a member of the governing body shall continue as long as he is a member of the institute.

(2) The term of office of a nominated member of the governing body under clauses (vii), (viii), (ix) or (x) of sub-rule (1) of rule 6 of the Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006 shall cease as soon as he ceases to be member of the institute or till he is replaced by the Central Government, whichever is earlier.

IndiaCode

9. Powers and functions of the governing body.- (1) The governing body shall be responsible for carrying out the decisions of the institute.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing functions, the governing body may perform all or any of the following functions, namely:-

(a) ensure compliance of broad policies and guidelines laid down for the institute by the National Authority;

(b) consider and recommend such proposals as are required to be submitted to the institute for its approval;

(c) consider and approve such programmes and activities as may be taken up as interim till these are approved by the institute;

(d) consider and approve such changes in the approved annual activities of the institute as may be considered necessary, subject to ex-post-facto approval of such changes by the institute;

(e) consider and approve such new activities not included in the approved annual activities of the institute as may be required to be taken up, subject to ex-post-facto approval by the institute;

(f) appoint such Committees and Sub-Committees as considered appropriate for the discharge of its functions.

(g) perform all such acts and do all such things as may be necessary for the proper management of the properties of the institute; and

(h) perform all such functions as may be delegated by the institute.

10. Time and place of meeting of the governing body.- The governing body shall hold its meetings at such place and times as the Chairperson of the governing body may, from time to time, determine:

Provided that the Chairperson of the governing body shall convene a meeting if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than four members of the governing body specifying the subject-matter proposed to be discussed in the meeting:

Provided further that the governing body shall meet at least once in three months.

11. Notice for meeting of governing body.- (1) Not less than fourteen days notice for every meeting of the governing body shall be given to each member of the governing body.

(2) A notice may be served upon any member of the governing body either personally, by email, fax, telegram or by post by under certificate of posting in an envelope addressed to such member and such notice shall be presumed to have been properly delivered.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a meeting of the governing body at which any matter which is considered urgent by the Chairperson has to be taken up, may be called at a shorter notice.

IndiaCode

12. Quorum.- (1) No business shall be transacted at a meeting of the governing body unless at least five members of the governing body are present.

(2) If within half an hour of the time appointed for holding the meeting of the governing body, quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to another day and notice of such adjourned meeting shall be given to each member of the governing body by e-mail, fax, telegram, post or special messenger, as the case may require:

Provided that a meeting so adjourned shall be held within twenty-one days of the date on which it was originally proposed to be held.

(3) If at any such adjourned meeting also, the quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members of the governing body present at the meeting shall form the quorum.

13. Presiding over the meetings of governing body.—(1) The Chairperson of the governing body shall preside over every meeting of the governing body.

(2) If the chairperson of the governing body is not present at any particular meeting, the vice-chairperson shall preside over the meeting of the governing body.

(3) If the Chairperson and the Vice-chairperson of the governing body are not present at any particular meeting, the members of the governing body present shall choose one from among themselves to chair that meeting.

14. Transaction of business by circulation of papers.- (1) Any business which may be necessary for the governing body to transact, may, if the Chairperson or in his absence, the Vice-chairperson so directs, be dealt with by circulation of the papers to all the members of the governing body at their usual addresses, and any resolution so circulated shall be as effectual and binding as if the resolution has been passed at a meeting of the governing body, provided at least five members of the governing body have accorded their approval to the resolution.

(2) If a resolution is circulated, the results of circulation shall be communicated to all the members of the governing body and shall also be placed before the governing body at its subsequent meeting for confirmation.

15. Voting.- All matters submitted to a meeting of the governing body shall be decided by a majority of the members of the governing body present and voting thereat, and in case of an equality of votes, the chairperson of the governing body or the person presiding shall have a casting vote, in addition to the vote to which he may be entitled to as a member of the governing body.

16. Recording of business.- (1) A record shall be maintained of all business transacted by the governing body.

(2) All decisions of the governing body shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions and an entry of such decisions in the book of proceedings of the governing body shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the governing body.

(3) The proceedings of every meeting shall be circulated to the members of the governing body within twenty-one days of the meeting of the governing body.

17. Allowances to the members of the institute and the governing body - (1) The members of the institute and the governing body may be paid traveling allowances, daily allowances, conveyance allowances and room rent as admissible under the Supplementary Rules.

18. Powers and functions of Executive Director.- (1) The Executive Director shall be responsible for implementation of the decisions of the institute, its governing body and the broad policies and guidelines of the National Disaster Management Authority and perform such other functions as may be assigned by the Central Government.

(2) The Executive Director shall be in charge of the administration of the institute and shall allocate duties to officers and employees provided to the institute and exercise such supervision and executive control as are necessary.

(3) The Executive Director shall exercise the powers of the Head of the Department as specified in the Fundamental Rules, Supplementary Rules and the Delegation of Financial Power Rules.

(4) The Executive Director shall -

(a) discharge the functions of disciplinary authority in respect of the officers and employees of the institute below the rank of Associate Professor and equivalent posts.

(b) decide the venue of the trainings and workshops and invite resource persons for various programmes subject to such guidelines as may be laid down by the institute or its governing body;

(c) engage consultants for performance of specific jobs subject to such guidelines as may be laid down by the institute or its governing body;

(d) make such short term changes in the training programmes, workshops and other activities of the institute as may be necessary due to exigencies of situation;

(e) approve publication of documents, reports etc;

(f) permit air travel to non-entitled officers for reasons to be recorded in writing;

(g) correspond with the Central Government and State Governments on any matter pertaining to the institute;

(h) discharge such other functions as may be delegated to him by the institute or its governing body.

[F. No. 30/8/2006-NDM-III(A)]

PRABHANSHU KAMAL, Jt. Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939
No. 432] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/ JYAISTHA 9, 1939

xg e=ky;

vf/klwpuk

नई दिल्ली 30 मई, 2017

lk-dk-fu- 531¼v½&&केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 76 के साथ पठित धारा 42 की उप–धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विनियम, 2006 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विनियम, 2006 के विनियम 12, के उप–विनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विनियम, 2006 के नियम 6 के उप–नियम (1) के खंड (iv) , खंड (vii), खंड (viii),खंड (ix), खंड (x), और खंड (xi) में निर्दिष्ट शासित निकाय के सदस्य, यदि वे अधिवेशन में उपस्थित होने में समर्थ नहीं होते हैं तो शासी बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए अधिकारी नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, या संस्थान का प्रोफेसर या समतुल्य अधिकारी हो, यथास्थिति, और ऐसा नामनिर्देशिती गणपूर्ति का विनिश्चय करने के लिए विचार में लिया जाएगा "

[फा.सं. 45–17/2016–एनडीएम–II]
संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव (डीएम)

Ministry of Home Affairs

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May,.2017

G.S.R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of read with section 42 read with section 76 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendments to National Institute of Disaster Management Regulations, 2006, namely:-

In the National Institute of Disaster Management Regulations, 2006, in regulation 12, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the members of the Governing body referred to in clauses (iv), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi) of sub-rule (1) of rule 6 of the Disaster Management (National Institute of Disaster Management) Rules, 2006 may nominate officers not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or a Professor of the Institute or an equivalent officer, as the case may be, to attend the meetings of the Governing body in case they are not able to attend the meetings and such nominee shall be considered for deciding the quorum."

[F. No. 45-17/2016-NDM-II]

SANJEEV KUMAR JINDAL, Jt. Secy. (DM)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.05.31 23:17:59 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.